(अंग्रेजी नोटिस का हिंदी अनुवाद)

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

कोच्चि रिफाइनरी

KR.HR.ER.3.SC.STRIKE 7 अप्रैल, 2022

नोटिस: सभी संबंधित मज़दूर जिन्हों ने कोच्चि रिफाइनरी में 28.03.2022 को सुबह 7 बजे से 30.03.2022 को सुबह 7 बजे तक हड़ताल करने का प्रयास किया

अवैध हड़ताल **28.03.2022** को सुबह **7** बजे से **30.03.2022** को सुबह **7** बजे तक

(कारण बताएं)

1. कोच्चि रिफाइनरी में संचालित कोचीन रिफाइनरी वर्कर्स एसोसिएशन (CRWA) और कोच्चि रिफाइनरी एम्प्लाइज एसोसिएशन (CREA) द्वारा दो दिवसीय हड़ताल के लिए 28.03.2022 को सुबह 0700 बजे से 30.03.2022 को सुबह 0700 बजे तक नोटिस जारी किया गया था जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों/एसोसिएशनो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन के विभिन्न समस्यायों के विरोध के निर्णय के आधार पर था।

2. पेट्रोलियम उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एन) के प्रावधानों के तहत “सार्वजनिक उपयोगिता सेवा” के रूप में घोषित किया गया है और यह खतरनाक उत्पादों के निर्माण/प्रसंस्करण में कार्यरत है और मज़दूरों द्वारा हड़ताल की ठोस कार्रवाई उत्पादन और निगम का व्यवसाय और साथ ही निगम की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है तथा सुरक्षित संचालन के लिए जोखिम पैदा हुआ।

3. प्रबंधन ने नोटिस संदर्भ संख्या KR.HR.ER.3.STRIKE दिनांक 21.03.2022 जारी किया, जिसमें मज़दूरों को सूचित किया गया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मांगें कोच्चि रिफाइनरी में काम करने वालों के रोजगार के नियमों और शर्तों के पूरी तरह से असंगत हैं और हड़ताल पर आगे नहीं बढ़ने के लिए सलाह दी जाती है।

4. यूनियनों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कोचीन के ध्यान में लाया गया। सुलह की कार्यवाही क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा 22.03.2022 और 25.03.2022 को आयोजित की गई थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) में प्रावधान है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति सुलह अधिकारी के समक्ष **किसी भी सुलह की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान** हड़ताल पर नहीं जाएगा'।

5. इसके अलावा, 2022 की रिट याचिका (C) संख्या 10271 में, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.03.2022 को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें यूनियनों को 28.03.2022 को सुबह 7 बजे से 30.03.2022 को सुबह 7 बजे तक हड़ताल करने से रोक दिया गया था।

6. प्रबंधन ने अपने नोटिस संदर्भ संख्या KR.HR.ER.3.STRIKE दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से सुलह कार्यवाही की लंबितता और WP (C) संख्या 10271 में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के बारे में मज़दूरों को अवगत कराया था और सभी मज़दूरों से काम में सामान्य स्थिति सुनिश्चित

करने और 28.03.2022 को सुबह 7 बजे से 30.03.2022 को सुबह 7 बजे तक प्रस्तावित हड़ताल में भाग नहीं लेने की अपील की थी। उक्त नोटिस में, प्रबंधन ने यह भी सलाह दी कि प्रस्तावित हड़ताल में कामगारों के भाग लेने की स्थिति में, ऐसी भागीदारी अवैध होगी और **"काम नहीं - वेतन नहीं"** के सिद्धांत पर मजदूरी और भत्तों की कटौती की जाएगी। यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि हड़ताल की अवैधता को देखते हुए, प्रबंधन उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के अलावा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार हड़ताल के प्रत्येक दिन के लिए आठ दिनों तक के वेतन और भत्तों की दंडात्मक कटौती करने के लिए बाध्य होगा।

7. इस बीच, कोचीन रिफाइनरी एम्प्लाइज एसोसिएशन (CREA) ने पत्र दिनांक 27.03.2022 के माध्यम से हड़ताल से वापस ले लिया।

8. इसके अलावा, 30.05.2013 को हस्ताक्षरित एलटीएस के खंड 49 में कहा गया है कि "मज़दूर प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी हड़ताल का सहारा नहीं लेने के लिए सहमत हैं"।

9. सुलह अधिकारी की सलाह के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और मज़दूरों को पूर्वोक्त नोटिस के बावजूद, यह देखा गया है कि कोचीन रिफाइनरी वर्कर्स एसोसिएशन (CRWA) के पदाधिकारियों, सदस्यों और कुछ अन्य कामगारों ने 28.03.2022 को सुबह 7 बजे से 30.03.2022 को सुबह 7 बजे तक 'अवैध' हड़ताल की कार्यवाही की।

10. इसके अलावा, 'अवैध' हड़ताल में भाग लेने वाले मज़दूरों की ठोस कार्रवाई से न केवल निगम को भारी मूर्त और अमूर्त नुकसान हुआ; बल्कि आम जनता सहित ग्राहकों को आपूर्ति में परिचालन संबंधी असुविधा भी हुई, जिन्हें हम आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करते हैं।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सभी मज़दूर जो 28.03.2022 को सुबह 7 बजे से 30.03.2022 को सुबह 7 बजे तक हड़ताल पर चले गए, उन्हें यह **कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि उन्हें कोच्चि रिफाइनरी में काम करने वालों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार और सिद्धांतों के साथ की गई हड़ताल के प्रत्येक दिन के लिए 8 दिन (1 दिन " काम नहीं - वेतन नहीं " + 7 दिनों की दंड मजदूरी कटौती)** के सिद्धांतों पर वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत वेतन कटौती के अधीन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार हड़ताल पर काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। आपको इस नोटिस को एक व्यक्तिगत कारण बताओ नोटिस के रूप में मानने की सलाह दी जाती है।

12. आपको आगे सूचित किया जाता है कि यदि हड़ताल पर जाने वाले मज़दूरों से इस नोटिस की प्राप्ति/प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर संतोषजनक लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त प्रस्तावित के रूप में कटौती के लिए अप्रैल 2022 के महीने के देय वेतन और भत्ते से बिना किसी और सूचना के कटौती की जाएगी।

कुरियन पी अलापट्टी
मुख्य महाप्रबंधक आई/सी (एचआर)